पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक / 2018

श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म. प्र.) केम्प, इन्दौर

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/2497

1. शोयब अली पिता अकबर अली तैय्यबी,
   उम्र – 48 वर्ष, धंधा – व्यापार,
   निवासी – 107–ए, खातीवाला टैंक,
   जिला – इन्दौर (म.प्र.)

2. आमीर पिता इब्राहीम तैय्यबी,
   उम्र – लगभग 38 वर्ष, धंधा – व्यापार,
   निवासी – 9, बोहरा बाखल,
   जिला – इन्दौर (म.प्र.)

3. अशफाक अली पिता सैफुद्दीन तैय्यबी,
   उम्र – 35 वर्ष, धंधा – व्यापार,
   निवासी – 204, खातीवाला टैंक,
   जिला – इन्दौर (म.प्र.)

::– आवेदकगण

वि रू द्ध

1. अनिल पिता चम्पालाल डोशी
   निवासी – 302, प्रिंसेस रीजेन्सी,
   18, कंचनबाग, इन्दौर (म.प्र.)

2. संजय पिता मुन्नालाल अहीर,
   निवासी – ग्राम बरदरी, तहसील साँवेर,
   जिला – इन्दौर (म.प्र.)

3. जी.आर. एग्रो इण्डस्ट्रीज तर्फे पार्टनर
   1) हितेश पिता गोवर्धनदास चुघ
   निवासी – 90, गोपालबाग, इन्दौर (म.प्र.)

   2) राजकुमार पिता विशनदास चुघ
   निवासी – 25, रूपरामनगर, इन्दौर (म.प्र.)

   3) जयादेवी पति गोवर्धनदास चुघ,
   निवासी – 90, गोपालबाग, इन्दौर (म.प्र.)

4. रवि पिता शालिगराम सोलंकी
5. मूलचन्द पिता भागीरथ
6. रमेश पिता भागीरथ
   तीनों निवासी– ग्राम बरदरी, तहसील साँवेर,
   जिला – इन्दौर (म.प्र.)

7. राजकुमार पिता मोहनलाल
   निवासी – स्कीम नं.74–सी, विजय नगर,
   इन्दौर (म.प्र.)

::– अनावेदकगण

आवेदक अभिभाषक
श्री वैभव भागवत
द्वारा इन्दौर केम्प में
प्रस्तुत।
17-4-18

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीगान तहसीलदार महोदय (आनंद मालवीय) तहसील सॉवेर जिला इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 70अ/2015–16 (अनिल डोसी विरूद्ध संजय व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 7/12/2017 जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय पन्द्रहवे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को ना मानते हुये प्रकरण मे कार्यवाही प्रारंभ से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/18/2497

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-6-18	आवेदक की ओर से श्री वैभव भागवत अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ तहसीलदार सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रश्नाधीन वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बरों से भिन्न सर्वे नम्बरों के संबंध में स्थगन प्रस्तुत किया गया, जबकि तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के भूमि सर्वे नम्बरों का उल्लेख व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने स्थगन आदेश में नहीं किया गया है इसलिये तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही स्थगित नहीं की गई है तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	